

ग्राम पंचायत दुलैहड, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दुलैहड, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत दुलैहड में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नन्द किशोर	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री यशपाल	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दुलैहड, विकास खंड हरोली, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान का उपयोग शेष	31.79
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.31
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	0.15
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	12.85
5)	8.2	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	9.79
6)	8.3	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	2.96
7)	8.4	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	1.25
8)	8.5, 8.6, 8.7 व 8.8	विभिन्न अधिक / अनियमित भुगतान	0.73
9)	8.9	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.10
10)	9.1	माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	12.17

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत दुलैहड, विकास खंड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 18.03.2024 से 21.03.2024 तक ग्राम पंचायत दुलैहड के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	07/2021	07/2021
2022-23	07/2022	09/2022

“इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।”

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दुलैहड, विकास खंड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 257/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत दुलैहड द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित दुलैहड के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 285567 दिनांक 09/04/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत दुलैहड द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 235/2024 दिनांक 18.03.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलग्न परिशिष्ट “क”** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान छ रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना Offline, 14वां वित्तायोग Offline, 15वां वित्तायोग (Online), इंदिरा आवास योजना Offline व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2021-22	2629525.89	8342766.1	10972291.99	7243780.36	3728511.63
2	2022-23	3728511.63	6681566.56	10410078.19	7230697.81	3179380.38

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत दुलैहड के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹202298.00** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	3179380.38
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट "क-1)	3381678.38
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	0.00
4)	योग (2+3)	3381678.38
5)	अन्तर (4-1)	202298.00

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार था (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB DULEHAR	20152015877	89982.00
	UCO DULEHAR	14090100000605	145691.49
	KCCB DULEHAR	20048031365	420354.00
	UCO BANK DULEHAR (15 TH FC)	14090110082980	2357411.75
	UCO BANK DULEHAR	14090110079799	359612.14
	KCCB DULEHAR(14 TH FC)	50067450064	0.00
	KCCB DULEHAR (IAY)	20152042255	8627.00
		योग	3381678.38
हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)			0.00
		योग (1+2)	3381678.38

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी। खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹2.02 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को निम्न विवरणानुसार शीर्षों की रोकड़ बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में ₹202298 का अन्तर पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 238/2024 दिनांक 18/03/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03.2023 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)	अन्तर (₹)
1	2	3	4	5(4-3)
1	स्व: स्रोत व अनुदान (समेकित)	725237.49	656027.49	-69210.00
2	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	88104.14	359612.14	271508
			योग	202298.00

ड.) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना :-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन-देन की प्रविष्टियों उपरान्त इसे बंद करते हुए अंत शेष निकालना आवश्यक है तथा मासांत एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियाँ पंचायत प्रधान द्वारा आंशिक रूप से हस्ताक्षरित तो की गई थी, परन्तु न तो इनमें अंतशेष निकाले गए थे और न ही उनका नियमानुसार सत्यापन हुआ था। रोकड़ बहियों के अंतशेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 235/2024 दिनांक 18.03.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹31.79 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 235/2024

दिनांक 18.03.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि (परिशिष्ट क) पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्व: स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹3179380.38 की राशि उपयोग हेतू शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 235/2024 दिनांक 18.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 235/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान

किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.31 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 235/2024 दिनांक 18.03.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹30950/- (परिशिष्ट "ख" अनुसार) वसूली हेतु शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	0	40500	40500	0	40500
2022-23	40500	41750	82250	51300	30950

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.15 लाख की वसूली न करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय-

समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान **सलग्र परिशिष्ट “ग” में वर्णित** मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹14800** की वसूली नहीं की गई थी। अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 249/2024 दिनांक 20.03.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल न की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में न वसूली गई सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राशि को शीघ्र अति शीघ्र राजकीय कोष के लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹12.85 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **सलग्र परिशिष्ट “घ” अनुसार ₹1285178** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 243/2024 दिनांक 19/03/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, पंचायती राज के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। अतः सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 स्टॉक रजिस्टर में ₹9.79 लाख की सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 07/2021 व 09/2022 में **सलग्न परिशिष्ट "ड."** अनुसार **₹978889** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 242/2024 दिनांक 20/03/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दुलैहड के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएंगी। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 उचित बिलों के बिना 2.96 लाख का भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा शीर्ष से निम्नानुसार आपूर्तिकर्ता को रेत, बजरी, मिट्टी व ढुलाई इत्यादि के रूप में **निम्न विवरणानुसार ₹295640/-** का भुगतान किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 244/2024 दिनांक 20.03.2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत दुलैहड के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	203 07/21	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	रेत, बजरी	44400
2	मनरेगा	204 07/21	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	बजरी, पानी टैंक इत्यादि	40200
3	मनरेगा	238 07/21	अमित ठाकुर दुलेहर	मिट्टी	3600
4	मनरेगा	198 07/21	राजीव कुमार दुलेहर	रेत, बजरी इत्यादि	48400
5	मनरेगा	199 07/21	राजीव कुमार दुलेहर	मिट्टी, बजरी इत्यादि	42000
6	मनरेगा	200 06/07/21	राजीव कुमार दुलेहर	मिट्टी	10500
7	मनरेगा	191 06/07/21	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	दुलाई	12300
8	मनरेगा	192 06/07/21	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	मिट्टी, बजरी इत्यादि	47660
9	मनरेगा	194 06/07/21	अमित ठाकुर दुलेहर	मिट्टी, बजरी इत्यादि	39680
10	मनरेगा	195 06/07/21	राजीव कुमार सपुत्र श्री सन्देश कुमार दुलेहर	बजरी	6900
				योग	295640/-

8.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹1.25 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 07/2021 व 09/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलग्न परिशिष्ट "च" अनुसार ₹124965.68** का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 254/2024 दिनांक 21/03/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः खनन का वैध स्रोत सुनिश्चित करते हुये मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए तथा तदनुसार **₹124965.68** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से ₹0.28 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 09/2022 में स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य Up gradation of community center gauwa dulehar हेतु ₹70.58 प्रति किलो के हिसाब से 1400 किलो सरिये का क्रय किया गया, जबकि उक्त कार्य का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 29817 के पृष्ठ संख्या 60 से 63 पर 1003 किलो मूल्यांकित किया गया अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा 397 (1400-1003) किलो सरिये के लिए ₹28020 (397×70.58) का अधिक भुगतान किया गया। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 252/2024 दिनांक 21/03/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8.6 प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना शीर्ष से ₹0.19 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित मास 09/2022 में निम्न विवरणानुसार प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री, जैसे रेत, बजरी व सीमेंट को खपत से अधिक जारी करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा ₹18842 का अधिक भुगतान किया गया।

निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण सम्पर्क मार्ग पूली नाला जसबिंदर के घर से लिंक रोड तक

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	निष्पादित मात्रा (घन मीटर)	रेत (घन मीटर)	बजरी (घन मीटर)	सीमेंट
19582 47	CC 1:2:4	8.99	4.00	8.00	57.53
47	Sand filling	--	7.12	--	--
48	CC1:2:4	1.23	0.54	1.09	7.87
		योग	11.66	9.09	65.4
	कार्य हेतु द्वारा जारी / खपत मात्रा		22.65	11.32	100

	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री	10.99	2.23	34
	क्रय दर	513 प्रति घन मीटर	530 प्रति घन मीटर	353.60 प्रति बैग
	अधिक भुगतान	₹5638	₹1182	₹12022
	कुल अधिक भुगतान (5638+1182+12022)	₹18842		

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 251/2024 दिनांक 21/03/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8.7 स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से ₹0.15 लाख का मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 09/2022 में स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य Up gradation community centre gaua dulehar हेतु प्रयोग किए गए मस्ट्रोल संख्या 109492, 111354 व 111372 द्वारा ₹48150/-, ₹43840/- व ₹47248/- कुल **₹139238** का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया, जबकि उक्त मस्ट्रोलों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 29817 के पृष्ठ संख्या 57 से 64 पर **₹124411** ही मूल्यांकित किया गया था अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा **₹14827** (139238-124411) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 255/2024 दिनांक 21/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8.8 15वें वित्तायोग शीर्ष से ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित मास 09/2022 में निम्न विवरणानुसार 15वें वित्तायोग शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप

पुस्तिका की जाँच दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री जैसे रेत व पेवर ब्लॉक्स को खपत से अधिक जारी करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा **₹10964** का अधिक भुगतान किया गया था :-

निर्माण कार्य का नाम :- C/O Link road from tehsil office to UCO Bank

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	निष्पादित मात्रा (वर्ग मीटर/घन मीटर)	पेवर / ब्लॉक्स	रेत (घन मीटर)
29817 35	CC 1:6:12	46.05	--	21.64
29817 35	CC1:2:4	13.01	--	5.78
			योग	₹27.42
29817 35	Providing and laying heavy duty precast c.c interlock paver/blocks	315.65	11047	--
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		11500	36.81
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		453	9.39
	क्रय दर		13.57 प्रति पेवर	513 प्रति घन मीटर
	अधिक भुगतान		₹6147	₹4817
	कुल अधिक भुगतान (6147+4817)		₹10964/-	

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/2024 दिनांक 21/03/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8.9 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक

29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के चयनित माह 07/2021 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए परिशिष्ट “छ” पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹500710 (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्रोत पर ₹10014 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है :-

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	07/2021	Rajeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी, ढुलाई इत्यादि	500710	500710	10014 (2% x 500710)
				योग		10014

अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 258/2024 दिनांक 21/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹10014 जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मों / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.10 मनरेगा शीर्ष से ₹0.04 लाख का मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान:-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 07/2021 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य भूमि सुधार प्रदीप कुमार पुत्र मूला सिंह हेतु प्रयोग किए गए मस्ट्रोल संख्या 576 द्वारा ₹30450 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया, जबकि उक्त मस्ट्रोलों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 19553 के पृष्ठ संख्या 16 पर ₹26334 मूल्यांकित किया गया अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा ₹4116 (30450-26334) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 250/2024 दिनांक 21/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8.11 15वें वित्तायोग शीर्ष से ₹0.04 लाख का मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 09/2022 में 15वें वित्तायोग शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य Link road from Pahare to Bhagewal हेतु प्रयोग किए गए मस्ट्रोल संख्या 109494 व 109496 द्वारा ₹48464 व ₹12710 कुल ₹61174 का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया, जबकि उक्त मस्ट्रोलों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 29817 के पृष्ठ संख्या 38 से 40 पर ₹57123 मूल्यांकित किया गया अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा ₹4051 (61174-57123) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 256/2024 दिनांक 21/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

9.1 ₹12.17 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 07/2021 व 09/2022 में निम्नानुसार कार्यो हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व

मस्ट्रोली के अन्तर्गत ₹1216757 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अध्याचना संख्या 245/2024 दिनांक 20/03/2024 द्वारा सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/21	खाता निर्माण शमशान घाट वार्ड नंबर 7	64 22/6/21	PEVERS	20960
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/21	खाता निर्माण शमशान घाट वार्ड नंबर 7	4 19/5/21	रेत, मिट्टी इत्यादि	28870
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/21	खाता निर्माण शमशान घाट वार्ड नंबर 7	109472 (01/6/21 to 17/6/21)	मजदूरी	34714
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/21	खाता निर्माण शमशान घाट वार्ड नंबर 7	109471 (19/5/21 to 30/5/21)	मजदूरी	24504
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/21	खाता निर्माण शमशान घाट वार्ड नंबर 7	243 19.05.21	शटरिंग	34300
5	मनरेगा	07/21	भूमि सुधार प्रकाश सिंह सपुत्र सिंह	577,578 (16.6.21 TO 30.6.21)	मजदूरी	34104
6	मनरेगा	07/21	भूमि सुधार रणधीर सिंह सपुत्र केहर सिंह	297,298 (01.6.21 TO 15.6.21)	मजदूरी	29841
7	मनरेगा	07/21	भूमि सुधार गुरदयाल सिंह सपुत्र वतना राम	112 01.06.21	तार	25650
8	मनरेगा	07/21	भू- सरंक्षण खेत का डंगा	128,203,20	रेत, बजरी इत्यादि	105180

			परमजीत पुत्र भूपिंदर सिंह	4,205 06.07.21		
9	मनरेगा	07/21	भूमि सुधार कर्म चन्द पुत्र प्रकाश चन्द	125,197,25 4,455 06.07.21	रेत, बजरी इत्यादि	30080
10	मनरेगा	07/21	निर्माण पक्का रास्ता शीश के घर तक	117, 238, 447 06.07.21	रेत, बजरी इत्यादि	83260
11	मनरेगा	07/21	निर्माण पक्का रास्ता पित्रा से लेकर सती तक	132,198 TO 202 06.07.21	रेत, बजरी इत्यादि	127300
12	मनरेगा	07/21	निर्माण पक्का रास्ता नीलम के घर से विपन	122,124,13 3,198,446,4 48 06/07/21	रेत, बजरी इत्यादि	91510
13	मनरेगा	07/21	निर्माण पक्का रास्ता लिंक रोड से सहजपाल के वाडे तक	135,191,19 2,193 06.07.21	रेत, बजरी इत्यादि	65620
14	मनरेगा	07/21	निर्माण पक्का नाला वकील के खेत से सुरिंदर के घर तक	136,194 TO 197 06/07/21	रेत, बजरी इत्यादि	74460
15	मनरेगा	07/21	निर्माण नाला मेन गली से योगराज के खेत तक	139,207 TO 210 06/07/21	रेत, बजरी इत्यादि	139810
16	मनरेगा	07/21	निर्माण सम्पर्क मार्ग पाखर के घर से जय चन्द के घर तक	123,134,25 5,256 06/07/21	रेत, बजरी इत्यादि	44280
17	मनरेगा	09/22	निर्माण नाला शाहा के अम्ब से रशपाल के घर से पुली तक	79423 13/05/22	सीमेंट	73808
18	मनरेगा	09/22	निर्माण सम्पर्क मार्ग गऊया रोड से बाया ठाकुर बहली	79422 13.05.22	सीमेंट	118092
19	मनरेगा	09/22	वाटर टैंक गौशाला	86,87,294,7 79 01.09.22	रेत, बजरी इत्यादि	30414
					योग	1216757

9.2 प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 246/2024 दिनांक 20/03/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न विवरणानुसार कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, 34 नंबर फार्म, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	माह	निर्माण कार्य का नाम
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	07/21	खाता निर्माण शमशान घाट वार्ड नंबर 7
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	09/22	खाता Upgradation community centre gaua dulehar
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	09/22	निर्माण शौचालय नजदीक UCO बैंक
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	09/22	C/O welding shed boundary wall to shamshan ghat
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	09/22	खाता निर्माण सम्पर्क मार्ग पुली नाला जसविंदर के घर से लिंक रोड तक
6	15वां वित्तायोग	09/22	C/o Link road from tehsil to Uco Bank
7	15वां वित्तायोग	09/22	C/o Link from Pahare to bhagewal

9.3 स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी :-

ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव । परन्तु अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 07/2021 व 09/2022 में व्यय के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था जो कि उक्त नियम की अवहेलना है । अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 248/2024 दिनांक 20/03/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था, जिसे भविष्य में नियमानुसार बनाया जाएगा । अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सुनिश्चित किया जाए कि अंकेक्षण अवधि में स्टोर सामग्री के क्रय में कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं पाई है । अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

10.1 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 236/2024 दिनांक 18.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30

2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

10.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 247/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 235/2024 दिनांक 18.03.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 21/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया

जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 निष्कर्ष:- लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

11 0 JUN 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2620046

2425-2429 का 10/50

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)99/2024-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत दुलैहड़ विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

11 0 JUN 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2620046

का 10/50

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत दुलैहड, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय व्यय सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	2629525.89	8342766.1	10972291.99	7243780.36	3728511.63
2	2022-23	3728511.63	6681566.56	10410078.19	7230697.81	3179380.38

Secretary
Gram Panchayat Dulehar
Dist. Block, Haroli
Dist. Una (H.P.)

[illegible]

ग्राम पंचायत दुलैहड़, विकास खण्ड हरौली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्वीत व अनुदान (समीकित) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	997992.14	1016730	2014722.14	1404433.65	610288.49
2	2022-23	610288.49	2463895	3074183.49	2348946	725237.49

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	1031872.75	25787	1057659.75	300754.61	756905.14
2	2022-23	756905.14	18358	775263.14	687159	88104.14

15वां वित्तीय Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	573053	1838964	2412017	59046	2352971
2	2022-23	2352971	1574752	3927723	1570311.25	2357411.75

Secretary
Gram Panchayat Dulahar
Dev. Block, Haroli
Distt. Una (H.P.)

25

[illegible]

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक					
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	5460439.1	5460439.1	0
2	2022-23	0	2549281.56	2549281.56	0

इंदिरा आवास योजना Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक					
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	8101	246	8347	8347
2	2022-23	8347	75280	83627	75000

14वां वित्तायोग Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक					
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	18507	600	19107	19107

Secretary 
 Gram Panchayat Dulehar
 Dev. Block, Haroli
 Dist. Una (H.P.)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	3179380.38
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	3381678.38
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	0.00
4)	योग (2+3)	3381678.38
5)	अन्तर (4-1)	202298.00

Secretary 
 Gram Panchayat Dulehar
 Dev. Block. Haroli
 Distt. Una (H.P.)

[illegible]

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB DULEHAR	20152015877	89982.00
	UCO DULEHAR	14090100000605	145691.49
	KCCB DULEHAR	20048031365	420354.00
	UCO BANK DULEHAR (15 TH FC)	14090110082980	2357411.75
	UCO BANK DULEHAR	14090110079799	359612.14
	KCCB DULEHAR(14 TH FC)	50067450064	0.00
	KCCB DULEHAR (IAY)	20152042255	8627.00
		योग	3381678.38
2		हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	0.00
		योग (1+2)	3381678.38

Secretary
Gram Panchayat Dulehar
Dev. Block. Haroli
Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट "ख"

पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत दुलैहड, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	0	40500	40500	0	40500
2022-23	40500	41750	82250	51300	30950

नोट :- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था।

Secretary
Gram Panchayat Dulahar
Dev. Block. Haroli
Distt. Una (H.P.)

SECRET
UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY
DATE OF REVIEW: 06-07-2018
REVIEWER: [redacted]
[redacted]

Marriage registration report for the year of 2021-22

S.NO.	Name	Marriage	Registration Date	Due	Collect	Balance
1	Rohit Sharma	20.04.2021	22.04.2021	200	0	200
2	Raj Kumar	28.03.2021	26.04.2021	200	0	200
3	Sandeep Kumar	28.03.2021	04.05.2021	400	0	400
4	Mohit	26.05.2021	06.06.2021	200	0	200
5	Sandeep Kumar	30.04.2021	06.06.2021	400	0	400
6	Akash Thakur	06.07.2021	15.07.2021	200	0	200
7	Rajan	24.06.2021	15.07.2021	200	0	200
8	Vishal	26.07.2021	16.08.2021	200	0	200
9	Suraj Bhatia	06.10.2021	25.10.2021	200	0	200
10	Deepak Bhatia	17.10.2021	28.10.2021	200	0	200
11	Vikran Joshi	11.10.2021	02.11.2021	200	0	200
12	Sarvesh Kumar	18.08.2021	02.11.2021	400	0	400
13	Mangal Singh	12.10.2021	10.11.2021	200	0	200
14	Vivek	08.10.2021	10.11.2021	400	0	400
15	Virender Kumar	27.10.2021	18.11.2021	200	0	200
16	Happy Bagga	07.11.2021	24.11.2021	200	0	200
17	Paramjit	14.11.2021	24.11.2021	200	0	200
18	Davinder Kumar	21.11.2021	30.11.2021	200	0	200
19	Veerdeen	01.11.2021	10.12.2021	400	0	400
20	Bhriegu Rana	09.12.2021	13.12.2021	200	0	200
21	Gaurav	01.12.2021	21.12.2021	200	0	200
22	Sanjeev Kumar	12.12.2021	30.12.2021	200	0	200
23	Dharm Pal	25.01.2022	05.02.2022	200	0	200
24	Rinku	17.02.2022	21.02.2022	200	0	200
25	Dalveer Singh	05.02.2022	21.02.2022	200	0	200
26	Amit Thakur	06.02.2022	26.02.2022	200	0	200
27	Ashwani kumar	11.02.2022	15.02.2022	200	0	200
28	Kamal kumar	20.02.2022	03.03.2022	200	0	200
29	Anu kumar	07.02.2022	25.03.2022	400	0	400
Total Amount				7000		7000

Secretary
Gram Panchayat Dulehar
Dev. Block. Haroli
Distt. Una (H.P.)

Secretary
Gram Panchayat Dulehar
Dev. Block. Haroli
Distt. Una (H.P.)

1. What is the purpose of the study?
The purpose of the study is to investigate the effect of the independent variable on the dependent variable.

2. What are the variables in the study?
The independent variable is the variable that is manipulated by the researcher. The dependent variable is the variable that is measured by the researcher.

Marriage registration report for the year of 2022-23

S.NO.	Name	Marriage	Registration Date	Due	Collect	Balance
1	Ravi Kumar	07.04.2021	17.10.2021	400	0	400
2	Happy kumar	10.02.2022	18.04.2022	400	0	400
3	Abhinav Thakur	24.01.2022	18.04.2022	400	0	400
4	Sunny	19.02.2022	18.04.2022	400	0	400
5	Rahul Singh	23.02.2022	30.04.2022	400	0	400
6	Tarun Kumar	19.04.2022	04.05.2022	200	0	200
7	Dushyant Joshi	05.02.2022	04.05.2022	400	0	400
8	Baljeet singh	01.05.2022	11.05.2022	200	0	200
9	Raman Kumar	09.04.2022	11.05.2022	400	0	400
10	Rahul kumar	02.05.2022	11.05.2022	200	0	200
11	Rajan	20.05.2022	26.05.2022	200	0	200
12	Rohit Kumar	12.05.2022	30.05.2022	200	0	200
13	Akshay Thakur	11.06.2022	18.06.2022	200	0	200
14	Mangu Ram	03.12.2021	18.06.2022	400	0	400
15	Abhishek	11.06.2022	24.06.2022	200	0	200
16	Amit	08.07.2022	20.07.2022	200	0	200
17	Abhishek Rana	27.08.2022	7.09.2022	200	0	200
18	Robin Kumar	05.09.2022	15.09.2022	200	0	200
19	Makhan Singh	26.09.2022	04.10.2022	200	0	200
20	Akashdeep	27.09.2022	04.10.2022	200	0	200
21	Pardeep kumar	09.11.2022	15.11.2022	200	0	200
22	Hamid Mohhammd	06.11.2022	19.11.2022	200	0	200
23	Monu	08.12.2022	13.12.2022	200	0	200
24	Abhishek Kumar Joshi	08.12.2022	16.12.2022	400	0	400
25	Gourav Choudhary	07.12.2022	16.12.2022	200	0	200
26	Arjun Dass	08.12.2022	2.01.2023	200	0	200
27	Daljeet Singh	20.01.2023	03.02.2023	200	0	200
28	Jameel Mohammad	27.01.2023	23.02.2023	200	0	200
29	Ravinder Kumar	16.02.2023	06.3.2023	200	0	200
30	Abdul Rehman	19.02.2023	06.03.2023	200	0	200
Total Amount				7800		7800

Secretary
Gram Panchayat Dulehar
Dev. Block. Haroli
Distt. Una (H.P.)

100-1000

100-1000
100-1000
100-1000
100-1000

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	28 07/21	001 20/05/21	M/s Deepak Sharma & Associate Una	Digital Signature	4400
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	37 07/21	64 22/6/21	M/s Agnihotri Concrete Blocks Tahliwal	Pevers	20960
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	38 07/21	4 19/5/21	Makhan land moovers & Materials Dulehar	रेत, मिट्टी इत्यादि	28870
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	40 07/21	243 19/5/21	सुच्चा सिंह शटरिंग सर्विस	शटरिंग, मिक्सचर	34300
5	मनरेगा	122 से 131 07/21	113 2.09.20	M/S Sanjeev Kumar Dulehar	दुलाई	13500
6	मनरेगा	203 07/21	शून्य 01.6.20	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	रेत, बजरी	44400
7	मनरेगा	204 07/21	शून्य 01.6.20	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	बजरी, पानी टैंक	40200
8	मनरेगा	205 06/07/21	431 26.10.20	Rajeev Kumar Duleher	मिक्सचर	19400
9	मनरेगा	254 06/07/21	131 15.3.21	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी, पानी टैंक	12690
10	मनरेगा	455 07/21	455 15.3.21	Rajeev Kumar Duleher	शटरिंग	15450
11	मनरेगा	206 07/21	117 15.11.20	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी, पानी टैंक	38860
12	मनरेगा	238 07/21	शून्य	अमित ठाकुर दुलेहर	मिट्टी	3600
13	मनरेगा	237 07/21	447 29.11.20	Rajeev Kumar Duleher	शटरिंग, मिक्सचर इत्यादि	39680

14	मनरेगा	132 से 141 07/21	114 2.09.20	M/S Sanjeev Kumar Dulehar	ढुलाई	23020
15	मनरेगा	198 07/21	शून्य	Rajeev Kumar Duleher	रेत, बजरी इत्यादि	48400
16	मनरेगा	199 07/21	शून्य	Rajeev Kumar Duleher	मिट्टी, बजरी इत्यादि	42000
17	मनरेगा	200 07/21	शून्य	Rajeev Kumar Duleher	मिट्टी	10500
18	मनरेगा	201 07/21	444 10.10.20	Rajeev Kumar शटरिंग स्टोर Duleher	शटरिंग, मिक्सचर इत्यादि	23400
19	मनरेगा	239 07/21	122 15.11.20	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी, पानी टैंक इत्यादि	27550
20	मनरेगा	240 07/21	448 15.11.20	Rajeev Kumar शटरिंग स्टोर Duleher	शटरिंग, मिक्सचर इत्यादि	41500
21	मनरेगा	249 07/21	446 20.11.20	Rajeev Kumar शटरिंग स्टोर Duleher	शटरिंग	15000
22	मनरेगा	191 07/21	शून्य 02.6.20	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	ढुलाई	12300
23	मनरेगा	192 07/21	शून्य 03.6.20	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	रेत, बजरी इत्यादि	47680
24	मनरेगा	194 07/21	शून्य 15.6.20	अमित ठाकुर दुलेहर	मिट्टी, बजरी	39680
25	मनरेगा	195 07/21	शून्य 16.6.20	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	बजरी	6900
26	मनरेगा	196 07/21	451 15.11.20	Rajeev Kumar शटरिंग स्टोर Duleher	शटरिंग, मिक्सचर	23400
27	मनरेगा	207 07/21	120 14/10/20	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी	46600
28	मनरेगा	208 07/21	445 14/10/20	Rajeev Kumar शटरिंग स्टोर Duleher	शटरिंग, मिक्सचर	63900
29	मनरेगा	209	121	Sanjeev Kumar	ढुलाई	23350

		07/21	शून्य	Dulehar		
30	मनरेगा	241 07/21	123 18/11/20	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी इत्यादि	21600
31	मनरेगा	255 07/21	129 15/12/21	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी इत्यादि	13360
32	मनरेगा	256 07/21	452 15/12/21	Rajeev Kumar शटरिंग स्टोर Dulehar	शटरिंग, मिक्सचर	6600✓
33	मनरेगा	142 से 145 07/21	115 2.09.20	M/S Sanjeev Kumar Dulehar	ढुलाई	5620
34	मनरेगा	39 09/22	82 16/06/22	Thakur Land moovers material dulehar	रेत, ढुलाई इत्यादि	3800
35	मनरेगा	40 09/22	283 30/6/22	सुच्चा सिंह शटरिंग सर्विस	शटरिंग, मिक्सचर	3080
36	मनरेगा	38 09/22	780 16.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	8998
37	मनरेगा	39 09/22	82 16/06/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	2560
38	मनरेगा	32 09/22	287 15/6/22	सुच्चा सिंह शटरिंग सर्विस	शटरिंग, मिक्सचर	1860
39	मनरेगा	31 09/22	874 23.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	बजरी	3100
40	मनरेगा	36 09/22	79 16/06/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	4360
41	मनरेगा	35 09/22	293 15/6/22	सुच्चा सिंह शटरिंग सर्विस	शटरिंग, मिक्सचर	4010
42	मनरेगा	34 09/22	875 23.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	बजरी	3100
43	मनरेगा	28 09/22	84 16/06/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	4620
44	मनरेगा	27 09/22	85 30/07/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	49650
45	मनरेगा	25 09/22	1183 to 1185	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	25149

			20.07.22			
46	मनरेगा	26 09/22	295 30/6/22	सुच्चा सिंह शटरिंग सर्विस	शटरिंग, मिक्सचर	22800
47	मनरेगा	22 09/22	778 16.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	14946
48	मनरेगा	30 09/22	63 23/05/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	3900
49	मनरेगा	45 09/22	86 15/06/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	1440
50	मनरेगा	44 09/22	87 15/06/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	13400
51	मनरेगा	42 09/22	294 30/6/22	सुच्चा सिंह शटरिंग सर्विस	शटरिंग, मिक्सचर	7100
52	मनरेगा	43 09/22	779 16.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	8897
53	15वां वित्तायोग	34 09/22	1762 01.09.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	7350
54	15वां वित्तायोग	35 09/22	311 12/9/22	सुच्चा सिंह शटरिंग सर्विस	शटरिंग, मिक्सचर	17600
55	15वां वित्तायोग	36 09/22	92 13/08/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	2400
56	15वां वित्तायोग	37 09/22	93 11/08/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	30850
57	15वां वित्तायोग	40 09/22	88,89 08/09/22	Thakur Land moovers material dulehar	ढुलाई	18100
58	15वां वित्तायोग	40 09/22	312 20/8/22	सुच्चा सिंह शटरिंग सर्विस	शटरिंग, मिक्सचर	4000
59	15वां वित्तायोग	42 09/22	1763 01.09.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	5850
60	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	21 09/22	296,297 28/08/22, 29/08/22	Sharma Trading Co. Dulehar	Steel	98316
61	स्व: स्त्रोत व अनुदान	25 09/22	228 20.05.22	R.K PLYWOOD & GLASS	सेनेटरी का सामान	15934

	(समेकित)			HOUSE		
62	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	26 09/22	1098 20.04.22	GURU NANAK ENTERPRISES, SAMNAL	TILES	10018
63	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	29 09/22	1893 07/09/22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	27000
64	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	35 09/22	225 23.09.22	A-VENTURE IT HUB	स्टेशनरी	2320
					योग	1285178/-

Secretary
Gram Panchayat Dulehar
Dev. Block, Haroli
Distt. Una (H.P.)

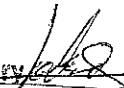
QUESTIONS
ANSWERS TO QUESTIONS
ON THE SUBJECT OF
THE NEW YORK AND
NEW JERSEY

सामग्री की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	26 07/21	001 20/5/21	M/s Deepak Sharma & Associate Una	Digital Signature	4400
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	37 07/21	64 22/6/21	M/s Agnihotri Concrete Blocks Tahliwal	Pevers	20960
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	38 07/21	4 19/05/21	Makhan land moovers & Materials Dulehar	रेत, मिट्टी इत्यादि	28870
4	मनरेगा	38 07/21	112 1/6/21	M/s Gagan & Bro. Ghaluwal	स्टील	30267
5	मनरेगा	203 07/21	शून्य 01/6/20	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Dulehar	रेत, बजरी	44400
6	मनरेगा	204 07/21	शून्य 01/6/20	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Dulehar	बजरी	28800
7	मनरेगा	254 07/21	131 15/3/20	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी	12200
8	मनरेगा	236 07/21	117 15/11/20	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी	16500
9	मनरेगा	238 07/21	शून्य	अमित ठाकुर दुलेहर	मिट्टी	3600
10	मनरेगा	198 07/21	शून्य	राजीव कुमार दुलेहर	रेत, बजरी	39400
11	मनरेगा	199 07/21	शून्य	राजीव कुमार दुलेहर	मिट्टी, बजरी	32100
12	मनरेगा	200 07/21	शून्य	राजीव कुमार दुलेहर	मिट्टी	10500
13	मनरेगा	239 07/21	122 15/11/20	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी	10000
14	मनरेगा	192 07/21	शून्य 02.6.20	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Dulehar	रेत, बजरी	34900

15	मनरेगा	194 07/21	शून्य 15.6.20	अमित ठाकुर दुलेहर	मिट्टी, बजरी	22000
16	मनरेगा	195 07/21	शून्य 16.6.20	Rajeev Kumar S/o Sandesh Kumar Duleher	बजरी	6900
17	मनरेगा	207 07/21	120 14/10/20	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी	46600
18	मनरेगा	241 07/21	123 18/11/20	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी इत्यादि	21600
19	मनरेगा	255 07/21	129 15/12/21	Sanjeev Kumar Dulehar	रेत, बजरी इत्यादि	8700
20	मनरेगा	20 09/22	79423 13/05/22	HP Civil Supply corp. ltd	सीमेंट	73808
21	मनरेगा	38 09/22	780 16.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	8998
22	मनरेगा	31 09/22	874 23.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	बजरी	3100
23	मनरेगा	34 09/22	875 23.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	बजरी	3100
24	मनरेगा	25 09/22	1183 to 1185 20.07.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	25149
25	मनरेगा	22 09/22	778 16.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	14946
26	मनरेगा	21 09/22	79422 13/05/22	HP Civil Supply corp. ltd	सीमेंट	118092
27	मनरेगा	43 09/22	779 16.06.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	8897
28	15वां वित्तायोग	34 09/22	1762 01.09.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	7350
29	15वां वित्तायोग	42 09/22	1763 01.09.22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	5850
30	15वां वित्तायोग	43 09/22	2689-90 01.09.22, 02.09.22	Jatin Spun Pipes Chhaterpur	RCC Pipe	50590
31	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	21 09/22	296,297 28/08/22, 29/08/22	Sharma Trading Co. Dulehar	Steel	98316
32	स्व: स्त्रोत व अनुदान	25 09/22	228 20.05.22	R.K PLYWOOD & GLASS HOUSE	सेनेटरी का सामान	15934

	(समेकित)					
33	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	26 09/22	1098 20.04.22	GURU NANAK ENTERPRISES, SAMNAL	TILES	10018
34	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	27 09/22	115667 09.09.22	HP CIVIL SUPPLIES	CEMENT	35360
35	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	29 09/22	1893 07/09/22	M/s Lakhwinder singh kungrat	रेत, बजरी	27000
36	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	30 09/22	115682 16.09.22	HP CIVIL SUPPLIES	CEMENT	17860
37	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	31 09/22	115681 16.09.22	HP CIVIL SUPPLIES	CEMENT	14144
38	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	32 09/22	115691 20.09.22	HP CIVIL SUPPLIES	CEMENT	17680
					योग	978889/-

Secretary 
Gram Panchayat Dulehar
Dev. Block. Haroli
Distt. Una (H.P.)

understand
the nature of the
the world and
the human mind

1



Dev. Block. Harold

